श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5310.78	2.54	5313.32	7355.53	22.85	7378.38	6567.70	25.20	6592.90	7677.75	22.25	7700.00
वसूलियां	*-570.09*	*-0.04*	-570.13	*-190.00*	...	*-190.00*	*-12.00*	...	*-12.00*	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**4740.69**	**2.50**	**4743.19**	**7165.53**	**22.85**	**7188.38**	**6555.70**	**25.20**	**6580.90**	**7677.75**	**22.25**	**7700.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	50.58	...	50.58	58.00	...	58.00	57.80	...	57.80	62.16	...	62.16
2. श्रम ब्यूरो	10.83	0.02	10.85	12.71	0.03	12.74	11.32	0.03	11.35	12.02	0.03	12.05
3. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), सीजीआईटीज, अनुसंधान एवं आईटीज से संबंधित अन्य मदें	64.99	...	64.99	76.28	...	76.28	65.23	...	65.23	69.02	...	69.02
4. कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीफासली)	20.84	...	20.84	24.88	...	24.88	22.18	...	22.18	23.65	...	23.65
5. खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस)	58.75	0.10	58.85	64.95	0.15	65.10	58.85	0.15	59.00	62.19	0.15	62.34
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	18.61	...	18.61	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00	22.50	...	22.50
7. रोजगार महा निदेशालय	36.36	...	36.36	50.84	0.16	51.00	34.50	0.10	34.60	36.65	0.11	36.76
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**260.96**	**0.12**	**261.08**	**309.66**	**0.34**	**310.00**	**269.88**	**0.28**	**270.16**	**288.19**	**0.29**	**288.48**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
8. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	39.46	0.06	39.52	67.65	0.35	68.00	37.16	0.10	37.26	44.65	0.35	45.00
औद्योगिक संबंध												
9. न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन	5.62	...	5.62	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00
10. बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, सीएलसी (सी) तथा आरएलसी (सी) नई दिल्ली के कार्यालय के लिए सीओसी तथा सीएलएस अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	10.97	0.21	11.18	19.80	0.20	20.00	11.00	19.20	30.20	22.11	10.00	32.11
जोड़-औद्योगिक संबंध	**16.59**	**0.21**	**16.80**	**29.80**	**0.20**	**30.00**	**18.00**	**19.20**	**37.20**	**32.11**	**10.00**	**42.11**
कार्यकरण स्थिति और सुरक्षा												
11. क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास	2.15	0.03	2.18	5.20	0.06	5.26	2.50	...	2.50	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. कारखानो, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच तथा डीजीफासली संगठन का सुदृढ़ीकरण	3.82	0.89	4.71	11.00	6.00	17.00	3.86	1.14	5.00	8.94	2.06	11.00
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए शिलांग में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना	...	...	...	0.04	...	0.04	0.01	0.50	0.51	...	...	...
14. खान दुर्घटना विश्लेषण तथा सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण	4.71	...	4.71	10.00	...	10.00	5.50	...	5.50	...	...	...
15. खान सुरक्षा के निदेशाल्य जनरल की प्रणाली और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण	5.42	0.27	5.69	12.00	5.00	17.00	5.40	2.72	8.12	11.01	2.00	13.01
जोड़-कार्यकरण स्थिति और सुरक्षा	**16.10**	**1.19**	**17.29**	**38.24**	**11.06**	**49.30**	**17.27**	**4.36**	**21.63**	**19.95**	**4.06**	**24.01**
16. उपकर आधारित श्रम कल्याण योजनाएं	239.36	0.69	240.05	374.15	5.85	380.00	197.97	1.00	198.97	239.76	2.50	242.26
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं												
17. असंग ठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबं टित करना	0.05	...	0.05	100.00	...	100.00	0.35	...	0.35	50.00	...	50.00
18. असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
19. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	4025.00	...	4025.00	4771.18	...	4771.18	5111.18	...	5111.18	4900.00	...	4900.00
20. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	43.09	...	43.09	50.00	...	50.00	110.00	...	110.00	35.00	...	35.00
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं	**4068.14**	**...**	**4068.14**	**4921.18**	**...**	**4921.18**	**5221.53**	**...**	**5221.53**	**5035.00**	**...**	**5035.00**
21. स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	107.34	...	107.34	160.00	...	160.00	106.62	...	106.62	120.00	...	120.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**4486.99**	**2.15**	**4489.14**	**5591.02**	**17.46**	**5608.48**	**5598.55**	**24.66**	**5623.21**	**5491.47**	**16.91**	**5508.38**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. केन्द्रीय श्र मिक शिक्षाबोर्ड	73.86	...	73.86	90.00	...	90.00	74.10	...	74.10	90.00	...	90.00
23. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	15.25	...	15.25	15.00	...	15.00	11.27	...	11.27	15.35	...	15.35
जोड़-स्वायत्त निकाय	**89.11**	**...**	**89.11**	**105.00**	**...**	**105.00**	**85.37**	**...**	**85.37**	**105.35**	**...**	**105.35**
अन्य												
24. श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण												
24.01 तक	179.08	...	179.08	190.00	...	190.00	12.00	...	12.00	...	...	...
24.02 से	-570.09	-0.04	-570.13	-190.00	...	-190.00	-12.00	...	-12.00	...	...	...
निवल	*-391.01*	*-0.04*	*-391.05*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-301.90**	**-0.04**	**-301.94**	**105.00**	**...**	**105.00**	**85.37**	**...**	**85.37**	**105.35**	**...**	**105.35**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
25. रोजगार सृजन कार्यक्रम												
25.01 कोचिंग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मार्गदर्शन	16.71	0.07	16.78	25.85	0.15	26.00	18.25	0.10	18.35	21.85	0.15	22.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
25.02 रोजगार संवर्द्धन योजना	1.08	0.20	1.28	9.00	4.90	13.90	6.34	0.16	6.50	9.00	4.90	13.90
25.03 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	197.72	...	197.72	1000.00	...	1000.00	500.00	...	500.00	1652.09	...	1652.09
25.04 राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं	79.13	...	79.13	125.00	...	125.00	77.31	...	77.31	109.80	...	109.80
जोड़- रोजगार सृजन कार्यक्रम	*294.64*	*0.27*	*294.91*	*1159.85*	*5.05*	*1164.90*	*601.90*	*0.26*	*602.16*	*1792.74*	*5.05*	*1797.79*
कुल जोड़	***4740.69***	***2.50***	***4743.19***	***7165.53***	***22.85***	***7188.38***	***6555.70***	***25.20***	***6580.90***	***7677.75***	***22.25***	***7700.00***
ख. योजना परिव्यय												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	16.71	...	16.71	23.85	...	23.85	16.25	...	16.25	19.65	...	19.65
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	4635.56	...	4635.56	6346.34	...	6346.34	5828.77	...	5828.77	6827.99	...	6827.99
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	50.58	...	50.58	58.00	...	58.00	57.80	...	57.80	62.16	...	62.16
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.07	0.07	...	0.15	0.15	...	0.10	0.10	...	0.15	0.15
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	2.43	2.43	...	22.70	22.70	...	25.10	25.10	...	22.10	22.10
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**4702.85**	**2.50**	**4705.35**	**6428.19**	**22.85**	**6451.04**	**5902.82**	**25.20**	**5928.02**	**6909.80**	**22.25**	**6932.05**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	687.84	...	687.84	631.07	...	631.07	741.15	...	741.15
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	37.84	...	37.84	49.00	...	49.00	21.64	...	21.64	26.50	...	26.50
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	0.50	...	0.50	0.17	...	0.17	0.30	...	0.30
जोड़-अन्य	**37.84**	**...**	**37.84**	**737.34**	**...**	**737.34**	**652.88**	**...**	**652.88**	**767.95**	**...**	**767.95**
कुल जोड़	**4740.69**	**2.50**	**4743.19**	**7165.53**	**22.85**	**7188.38**	**6555.70**	**25.20**	**6580.90**	**7677.75**	**22.25**	**7700.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** मंत्रालय के सचिवालय हेतु व्यय प्रदान करता है।

2. **श्रम ब्यूरो:** श्रम ब्यूरो के स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

3. **मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), सीजीआईटीज, अनुसंधान एवं आईटीज से संबं धित अन्य मदें:** मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी: से संबंधित अन्य व्यय सीएलसी(सी), सीजीआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मदों के लिए व्यय से संबद्ध स्थापना का प्रावधान करता है।

4. **कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीफासली):** महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा (डीजीफासली) हेतु स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

5. **खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस):** खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) हेतु स्थापन से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

6. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्रीय आईएलओ की और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एशियाई क्षेत्रीय दल कार्यालय को आवास और ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन और धन के लिए वार्षिक सदस्यता के भुगतान भी शामिल है।

7. **रोजगार महा निदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय के लिए स्थापना से संबंधित व्यय प्रदान करता है।

8. **श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** सांख्यिकी के संग्रहण और प्रकाशन, विभिन्न श्रम से संबद्ध विषयों के बारे में जांचें, सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

9. **न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन:** केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक विवादों के निपटान के सिलसिले में किए गए व्यय का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

10. **बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, सीएलसी (सी) तथा आरएलसी (सी) नई दिल्ली के कार्यालय के लिए सीओसी तथा सीएलएस अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और परिपर्टियों में सुधार लाने हेतु सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों श्रम कानूनों, पंचाटों और करारों के त्वरित कार्यान्वयन के संवर्धन, अनुशासन संहिता निर्धारित करने आदि के सिलसिले में किए गए व्यय का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

12. **कारखानो, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच तथा डीजीफासली संगठन का सुदृढ़ीकरण:** डीजीफासली देशभर में कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु उन कार्यकलापों पर किए गए व्यय का प्रावधान करता है जो डीजीफासली में अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में किए जा रहे हैं जिनसे व्यावसायिक चोटों और रोगों के निवारण एवं नियंत्रण, प्रत्यायन तंत्र की स्थापना करने, ई-शासन कार्यान्वित करने, डीजीफासली कार्मिकों की कौशल और सक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

15. **खान सुरक्षा के निदेशाल्य जनरल की प्रणाली और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण:** इस स्कीम का उद्देश्य जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन तकनीकों तथा सक्रिय संवर्धनात्मक माध्यमों के प्रयोग से दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से खानों में आपदाओं और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है। खान में परिचालन प्रणाली और वातावरण की विस्तृत जांच के माध्यम से दुर्घटनाओं/आपदाओं के अत्यधिक जोखिम वाली खानों की पहचान तथा कार्यान्वयन हेतु इन खानों की जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना।इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

16. **उपकर आधारित श्रम कल्याण योजनाएं:** यह स्कीम बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों तथा (।) अभ्रक खानों, (।।) लौह, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (।।।) चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान करती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

17. **असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना:** इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभों का पता लगाने तथा उनकी सुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) चालित मंच स्थापित किया जाएगा। इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

18. **असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना:** आम आदमी बीमा योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित सामाजिक सुरक्षा स्कीम है तथा इसमें 48 अभिज्ञात व्यावसायिक/व्यवसाय समूहों/ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के बीच के आयु समूह के व्यक्तियों के लिए मृत्यु एवं अपंगता छत्र का प्रावधान है। इस स्कीम में पूरक लाभ का भी प्रावधान है, जिसमें 9 से 12वीं कक्षा के बीच अध्ययनरत अधिकतम दो संतान प्रति व्यक्ति को अर्ध-वार्षिक आधार पर वजीफा दिया जाता है। इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

19. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभों का प्रावधान है। यह प्रावधान स्कीमों में सरकारी अंशदान के लिए है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

20. **असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस स्कीम में असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा, बागान कामगारों के लिए असम-परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा स्कीम के चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का प्रावधान है तथा चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम का प्रशासन असम के बागान कामगारों के संबंध में असम की राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है, जो असम सरकार द्वारा प्रशासित असम चाय बागान भविष्य निधि और परिवार पेंशन एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा शासित हैं। इस प्रावधान द्वारा स्कीम में केन्द्र सरकारों के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी पूर्ति की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

21. **स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के संविन्यास, समन्वय और कार्यान्वयन का प्रावधान है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

22. **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षाबोर्ड:** इस योजना का उद्देश्य कामगारों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी देश के समाजार्थिक विकास में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए शिक्षित करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई स्तरों के अनौपचारिक के देश व्यापी 50 क्षेत्रीय तथा 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों और मुम्बई स्थित भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान नामक सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कामगारों के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है | इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

23. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद संस्थान उन सभी जो श्रम के विभिन्न पहलू के साथ संबंध है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पहुँचने के लिए शोध, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से प्रयास किया है। यह धन नॉर्थ ईस्ट, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित

जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित भी शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

24. **श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण:** उपकर से प्राप्त धनराशियों के विभिन्न श्रम कल्याण निधियों को अंतरण तथा इन निधियों से उपगत किए गए श्रम कल्याण संबंधी व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है।

25.01. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** इस योजना में अनुसू चित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन एवं केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है ताकि इन श्रेणियों के आवेदकों के लिए आत्म विश्वास के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक मार्गदर्शन किया जा सके। ये कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अभिकरणों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने में संलग्न हैं। रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एक अन्य योजना भी कुछ कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा शुरु की गई है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति के घटक एवं अनुसूचित जनजाति के घटक के लिए निधि का आवंटन शामिल है।

25.02. **रोजगार संवर्द्धन योजना:** विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना पीडब्ल्यूडी की अंतर्निहित क्षमताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया है जिसमें उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय संबंधी दिशानिर्देश एवं कैरियर संबंधी सलाह तथा आर्थिक पुनर्वास की प्रक्रिया में उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

25.03. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** इस योजना के नए रोजगार का सृजन, जिसमें सरकार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। के भारत के पहले 3 वर्षों के लिए नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएस योजना के तहत मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के नियोक्ताओं के अंशदान का भुगतान करती है। यह धन नॉर्थ ईस्ट, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित भी शामिल है।

25.04. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल की संकल्पना की गई है जो बेरोजगारों तथा नियोजकों को क्षमतानुरूप रोजगार काफी प्रभावी, सक्षम तथा परिहार्य तरीके से प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3000 व्यवसायों से अधिक कैरियर संबंधी जानकारी का सक्षम कोष है। इस योजना द्वारा नियोक्ताओं तथा बेरोजगारों के लिए आपसी संवाद हेतु रोजगार मेलों के आयोजन की सुविधा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा आदर्श कैरियर केन्द्रों की स्थापना करने की संकल्पना है ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए रोजगार सेवा प्रदान की जा सके। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।